राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक 4(21)ग्रावि/अनु–8/2015/ दिनांक: 24/9/16

<u>विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण</u>

श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21 सितम्बर 2016 को शासन सचिवालय के पुस्तकालय भवन स्थित विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत की गयी बजट घोषणा को जिलों द्वारा गंभीरता से नहीं लेते हुए सभी योजनाओं की स्वीकृतियॉ जारी नहीं की जा रहा है। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक माह में सभी स्वीकृतियॉ जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्मीकम्पोस्ट के उतने ही लक्ष्य है जितने आवंटित लक्ष्य है। वर्मी कम्पोस्ट की स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभार्थियों को कार्य स्वीकृत कर अनिवार्य रूप से कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व दीवार लेखन किया जाये।
4. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की सभी योजनाओं में 20 प्रतिशत राशि तक महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स कराये जाने का प्रावधान है लेकिन जिलों द्वारा इनका कन्वर्जेन्स नहीं कराया जा रहा है। अतः कन्वर्जेन्स कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण व अन्य कार्य करने के लिए CFL को कार्यकारी एजेन्सी बनाया जा रहा है। पूर्व में स्वीकृत कार्यो में किसी प्रकार का परिवर्तन न कर पूर्व में जिन संस्थाओं को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है उन्हें ही बनाया जाए।
6. 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले कनिष्ट तकनीकी सहायक का अन्य जिले की अन्य पंचायत समिति में स्थानान्तरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. जहां पर एम.आइ.एस. मैनेजर के पद रिक्त है, वहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे रिक्त स्थानों की सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायें, जिससे कि वित्त विभाग को रिक्त पदों की सूचना भिजवायी जा सके।
8. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाईट्स प्रोजेक्ट के अन्दर आने वाले केसों की समीक्षा पहले व तीसरे सोमवार को करेंगे।

9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली विडियो कॉन्फ्रेन्स में समय पर उपस्थित नहीं हुए अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अधीशाषी अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
10. आवास योजनाओं में इन्दिरा आवास, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में वर्ष 2015 तक के स्वीकृत कार्यो को अनिवार्य रूप से 30 नवम्बर 2016 तक पूर्ण कराया जाना है। इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगे। इस संबंध में समस्त जिला कलक्टरों से अपेक्षा है कि वे प्रति सप्ताह आवास योजना की समीक्षा करें।
11. आवास योजना के अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने के लिए लगाये जाने वाले कैम्पों, Tag officer एवं अन्य सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि पूर्ण प्रयास के उपरान्त भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि 30 नवम्बर 2016 तक सभी आवास पूर्ण नहीं कराये तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
12. कुछ जिलों द्वारा पर्याप्त संख्या में Tag officers की नियुक्ति नहीं की जा रही है। आगामी 7 दिवस में Tag officers की नियुक्ति नहीं किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को निलम्बित किया जायेगा।
13. राजसमंद एवं नागौर जिले में तकनीकी अधिकारी नहीं है। सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता नियुक्त नहीं है। अतः सभी जिलों की स्थिति का अध्ययन कर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) द्वारा किये जायेगें।
14. ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में कराये जा रहे कार्यो की सीसी समयबद्ध तरीके से समायोजित की जानी है। सीसी देरी से जारी करने व समय पर पूरा नहीं करने के कारण ग्रामीण कार्य निर्देशिका में पैनेल्टी का प्रावधान है। इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता–आईएवाई द्वारा पैनेल्टी लगायी जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय की ओर से पत्र जारी कराया जाए।
15. जनभागीदारी विकास योजना वर्ष 2016–17 में आवंटित 100 करोड की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गयी है। जिन जिलों द्वारा 30 सितम्बर 2016 तक आवंटित राशि के विपरीत प्रशासनिक स्वीकृतियॉ जारी नहीं की जाऐगी उन जिलों से राशि लेकर अन्य जिलों को आवंटित कर दी जायेगी।
16. भारत सरकार द्वारा 70 करोड की राशि की मांग की जा रही है। प्राप्त होते ही उपलब्ध करवा दी जायेगी। दिवस का नोटिस देगें एवं 7 दिवस पश्चात भी आवास किस्त के भुगतान की कार्यवाही नहीं हो तो विकास अधिकारी को चार्जशीट देगें।
17. प्रमुख शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्धारित संख्या में क्षेत्र का निरीक्षण किया जाना है। अगस्त 2016 से ऑन लाईन रिपोर्टिग करने हेतु सिस्टम लागू कर दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन इन्द्राज की गयी है शेष द्वारा नहीं की गयी है। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ऑन

लाईन इन्द्राज करें। अगस्त माह की रिपोर्ट भी 30 सितम्बर 2016 तक वैब–पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सम्पर्क पोर्टल पर 543 शिकायतें जिला स्तर या जिले से नीचे स्तर पर लम्बित है। इन्हें आगामी 15 दिवस में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलों को Allokate शिकायतों की समीक्षा प्रतिदिन कर निस्तारित करावें।
19. सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित संलग्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाऐ।

(सी.एल.वर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. जिला कलक्टर, समस्त, राज0।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग।
8. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी–।,।।/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
10. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई, ग्रामीण विकास विभाग।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
13. सूचना सहायक, ग्रामीण विकास को संबंधित को ईमेल करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

सामाजिक अंकेक्षण

I. जिलो से शेष सूचनाऐं :–

जिलो से जो विभिन्न प्रकार की सूचनाऐं प्राप्त होना शेष है (निम्न विवरणानुसार) अविलम्ब भिजवायी जावे :–

क0 सं0	सूचना का प्रकार	संबंधित जिलें
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना की रिपोर्ट वर्ष 2015–16 **(प्रथम छःमाही)** प्रधानमंत्री आवास योजना की रिपोर्ट वर्ष 2015–16 **(द्वितीय छःमाही)**	बांसवाडा, जयपुर, झालावाड एवं करौली। अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड, करौली, नागौर, प्रतापगढ, श्रीगंगानगर एवं टोंक।
2	वर्ष 2016–17 (प्रथम छःगाही) के सामाजिक अंकेक्षण हेतु वीआरपी/ बीआरपी की सूचना।	बीकानेर एवं जयपुर,।
	वर्ष 2016–17 (प्रथम छःमाही) के सामाजिक अंकेक्षण हेतु वीआरपी की सूचना।	बांसवाडा, झालावाड, धौलपुर एवं उदयपुर।
3	सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2016–17 की प्रथम छःमाही में आयोजित ग्राम सभाओं की रिपोर्ट।	दिनांक 14.07.2016 से 15.09.2016 तक निर्धारित तिथि को जिन ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया गया उनका आगामी तिथि निर्धारित कर ग्राम सभा आयोजित की जावे। दिनांक 15.09.2016 तक आयोजित सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं की सूचना जिला अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, डूंगरपरु, जयपुर, झालावाड, करौली, सीकर, टोंक एवं उदयपुर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई सूचना शीध्र भिजवावे। विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। शेष जिलों में भी अभी तक पूर्ण सूचना प्राप्त नही हुई है। शीघ्र भेजे। महात्मा गाधी नरेगा योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

2 जॉच दलो के निरिक्षण में पाई गई कमिया

1 निदेशालय में जॉच दलो के निरीक्षण में पाई गई कमियों में निम्न कार्यवाही तुंरत करावे एवं सूचित किया जावे।

जिला सवाईमाधोपुर

ग्रा.पं.	पं.सं.	पाई गई कमियां	अपेक्षित कार्यवाही
बलरिया,	चौथ का बरवाडा	ग्रम संसाधन व्यक्तियों को पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया, रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के हस्ताक्षर नहीं है, दिनांक 08.08.2016 तक जॉच कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, अंकेक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र 8) अपूर्ण थी।	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वस्तुस्थिति की जांच करवाकर दोषियो के विरूद्व कार्यवाही करवायी जावे सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा जॉच प्रारम्भ नहीं करने के कराणों से अवगत करावे। सामाजिक अकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए ग्राम सभा की नवीन तिथि निर्धारित की जावे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।
वणजारी	चौथ का बरवाडा	सामाजिक अंकेक्षण जॉच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया बी.आर.	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वस्तुस्थिति की जांच करवाकर दोषियो के विरूद्व कार्यवाही करवायी जावे इस छ माही में नियमानुसार

				पी/वी.आर.पी को प्रशिक्षण नहीं दिया गया गत 6 माह में भी सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया।	सामाजिक अंकेक्षण कराना सुनिश्चित किया जावे।
			झाडोली	बौंली	ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई	आगामी तिथि निश्चित कर अवगत कराया जावे।
			मलाना चौड	बौंली	ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया।	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वस्तुस्थिति की जांच करवाकर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करवायी जावे सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा जॉच प्रारम्भ नहीं करने के कराणों से अवगत करावे। सामाजिक अकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए ग्राम सभा की नवीन तिथि निर्धारित की जावे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।
			मखोली	सवाईमा धोपुर	जॉच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराया गया वाल पेन्टिग नही करायी गयी।	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वस्तुस्थिति की जांच करवाकर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करवायी जावे सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा जॉच प्रारम्भ नहीं करने के कराणों से अवगत करावे। सामाजिक अकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए ग्राम सभा की नवीन तिथि निर्धारित की जावे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।

जिला उदयपुर

ग्रा.पं.	पं.सं.	पाई गई कमियां	अपेक्षित कार्यवाही
देवारी	गिरवा	सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ नही किया गया, बीआरपी/वीआरपी उपस्थित नही मिले, वॉल पेन्टिग नही पाई गई एवं समुचित प्रचार–प्रसार की व्यवस्था नही पायी रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराया गया।	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वस्तुस्थिति की जांच करवाकर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करवायी जावे सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा जॉच प्रारम्भ नहीं करने के कराणों से अवगत करावे। सामाजिक अकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए ग्राम सभा की नवीन तिथि निर्धारित की जावे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।
जसवंतगढ़	गोगुंदा	वॉल पेन्टिग नही पाई गई, ग्राम सभा का समुचित प्रचार–प्रसार नही किया गया एवं सामाजिक अंकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराया गया।	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वस्तुस्थिति की जांच करवाकर दोषियो के विरूद्ध सामाजिक अकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए ग्राम सभा की नवीन तिथि निर्धारित की जावे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।
घाणी	खेरवाडा	सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया, बी.आर.पी/वी. आर.पी नहीं मिले, वाल पेन्टिग कार्य नही पाया गया।	विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व है कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा से 15 दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण समिति को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जावे। सामाजिक अंकेक्षण समिति को सामाजिक अंकेक्षण कार्य का आदेश बी.आर.पी/वी.आर.पी को सुपर्द कर दिया गया है तथा उन्होने रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया है एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं किया गया है उनको सामाजिक अंकेक्षण दल में

						सम्मिलित नहीं किया जाकर उनके स्थान पर पैनल में से बी.आर.पी/वी.आर.पी लगाये जावे। रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
			ढीकवास	खेरवाडा	15 दिवस पूर्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। दिनांक 074.08.2016 से 10.08.2016 तक सामाजिक अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया।	सामाजिक अकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए ग्राम सभा की नवीन तिथि निर्धारित की जावे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।

जिला नागौर

ग्रा.पं.	पं.सं.	पाई गई कमियां	अपेक्षित कार्यवाही
मिण्डा, देवलीकला एवं मूंडधसोई सूपका, ललासरी एवं धानू आसरवा, बरवाली, भरनाई	नावां डिडवाना मकराना	सभी ग्रम पंचायतों में निरिक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य उपस्थित नही मिलें और न ही उनके द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु रिकॉर्ड प्राप्त किया तथा ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर से सामाजिक अंकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं किया गया।	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वस्तुस्थिति की जांच करवाकर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करवायी जावे सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा जॉच प्रारम्भ नहीं करने के कराणों से अवगत करावे। सामाजिक अकेक्षण दल को रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए ग्राम सभा की नवीन तिथि निर्धारित की जावे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे। विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व है कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा से 15 दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण समिति को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जावे। सामाजिक अंकेक्षण समिति को सामाजिक अंकेक्षण कार्य का आदेश बी.आर.पी/वी.आर.पी को सुपर्द कर दिया गया है तथा उन्होने रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया है एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं किया गया है उनको सामाजिक अंकेक्षण दल में सम्मिलित नहीं किया जाकर उनके स्थान पर पैनल में से बी.आर.पी/वी.आर.पी लगाये जावे। रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

II- सामाजिक अंकेक्षण की बकाया वसूली :–

वर्ष	संबंधित जिले
2014–15 (विशेष अभियान)	बूंदी, बारां, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, करौली, **नागौर**, एवं उदयपुर।
वर्ष 2007–08 से 2011–12	अजमेर, बूंदी, दौसा, **डूंगरपुर**, राजसमंद एवं टोंक।
वर्ष 2009–10	भीलवाडा
वर्ष 2012–13 से 2013–14	उदयपुर
वर्ष 2014–15 (प्रथम छःमाही)	बूंदी एवं बीकानेर।
वर्ष 2015–16 (प्रथम छःमाही)	बूंदी एवं बीकानेर।